संख्या–।।2। /XX(1)–2011–101 नि0/2008

प्रेषक,

जे0 पी0 जोशी
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग– 1 देहरादून : दिनांक 4 मई 2011

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना के अन्तर्गत 46 वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 रुद्रपुर, जनपद–उधमसिंहनगर में श्रेणी द्वितीय के 48 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–डी0 जी0–दो–67–2009(1) दिनाँकः06.04.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–134/XX(1)/101 निर्माण/आयोजनागत/2008–2009, दिनाँकः 24.02.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत 46 वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 रुद्रपुर, जनपद–उधमसिंहनगर में श्रेणी द्वितीय के 48 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार अनुमोदित लागत ₹256.12 लाख के सापेक्ष निर्माणाधीन कार्यों के लिए अवशेष ₹1,26,12,000.00(रू0 एक करोड़ छब्बीस लाख बारह हजार मात्र) में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹90,00,000.00 (नब्बे लाख मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उधम सिंह नगर को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग तथा कार्य पूर्ण किया जाना प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

3– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

4– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। विलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायगा।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

6– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका बजट मैनुअल एवं अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

क्रमश.....2

8– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

9– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय शीघ्रता से सुनिश्चित करते हुए इसका वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें। विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

10– स्वीकृत कार्य समयबद्ध रूप से अनुमोदित लागत में पूर्ण किया जायेगा तथा कार्यदाई संस्था से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया जाय।

11– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 4055–पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 211–पुलिस आवास 03–पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था(चालू कार्य)–00–आयोजनागत–00–24–वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–05 (P)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2011 दिनांक 26–04–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव

संख्या– 1182| (1)/XX(1)–2011–101 नि0/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
4– जिलाधिकारी, पौड़ी।
5– वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधम सिंह नगर।
7– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधम सिंह नगर।
8– परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उधम सिंह नगर।
9– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

संलग्नक–यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं0– /XX(1)–2011–101 नि0/2008 दि. .04.2011 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0 सं0	कार्य का विवरण	जनपद	निर्माण इकाई	लागत	अबतक अवमुक्त कुल धनराशि	वर्ष 2011–12 में प्रस्तावित धनराशि
1	46 वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0, रुद्रपुर, में श्रेणी द्वितीय के 48 आवासीय भवनों का निर्माण।	उधमसिंहनगर	उत्तराखण्ड पेयजल निगम	256.12	130.00	90.00

(रूपये नब्बे लाख मात्र)

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव